

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा</u> प्रकरण संख्या <u>26 / 2026</u> रे0फो0 राजस्थान राज्य बनाम नर्बदा (1/1)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की
	दिनांक : 11.02.2026 सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त नर्बदा अनुपस्थित। अधिवक्ता श्री सुनील पालीवाल उपस्थित। अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद सुनवाई आज के लिए स्वीकार किया गया। साक्ष्य अभियोजन में गवाह लक्ष्मी व जशोदाबाई का जमानती वारंट बाद तामील प्राप्त हुआ एवं गवाह प्यारचंद का जमानती वारंट गवाह की मृत्यु तस्दीक रिपोर्ट के साथ मय मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। गवाह प्यारचंद की तलबी बंद की जाती है। साक्ष्य अभियोजन में गवाह पीडब्ल्यू 01 लक्ष्मी उर्फ टीना व पीडब्ल्यू 02 जशोदाबाई के बयान लेखबद्ध किए गए, अन्य कोई गवाह उपस्थित नहीं। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन पूर्व मुकर्रर दिनांक 12.02.2026 को पेश हो।	